

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

-: अनापत्ति प्रमाण पत्र :-

निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल-शिक्षा) द्वारा उनके नाम के अंकित परीक्षा/पद हेतु विज्ञापित भर्तीयों में सम्मिलित होने हेतु विभाग से अनापत्ति चाही है। अतः निम्नांकित प्राध्यापकों को उनके नाम के सामने अंकित परीक्षा हेतु अनापत्ति एतद् द्वारा जारी की जाती है:-

क्र. सं.	नाम व्याख्याता भव्य पदस्थापन स्थान (राजमार्ग)	विषय	जन्मतिथि	सम्मिलित होने वाली परीक्षा/साक्षात्कार
1.	जितेन्द्र सिंह, शहीद मेजर जैम्स थॉमस राजमार्ग बीकानेर	भौतिक विज्ञान	10/5/1985	Vmou kota द्वारा आयोजित M.A. Edu. परीक्षा 2019-20 में सम्मिलित होने वाली।

यदि इनका व्ययन उक्त सेवा में हो जाता है तो इन्हें विभाग छोड़ने से पूर्व पुनः अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य है।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

दिनांक:- 24/10/19

क्रमांक:- शिविरा / माध्य / संरथा / सी-३ / अनापत्ति / भौतिक-गणित / 2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संबंधित संभाग।
2. संदिग्ध जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक / संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
3. संबंधित प्रधानाचार्य / कार्मिक।
4. सिस्टम एनेलैसिट कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने वाली।
5. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

निम्नांकित प्राध्यापक, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान (स्कूल शिक्षा) को विदेश यात्रा पर जाने की स्वीकृति-निम्नांकित शर्तों के आधार पर दी जाती हैं:-

क्र0सं0	नाम कार्मिक, विषय मय पदस्थापन स्थान	विदेश यात्रा का कारण व अवधि	विदेश का नाम जहाँ यात्रा करनी है
1.	रेखा भादू, व्याख्याता (रसायन विज्ञान) राउमावि मटोरियावाली ढाणी, हनुमानगढ़	भग्रण करने हेतु अवधि दिनांक: 25.10.2019 से 29.10.19 तक	थाईलैण्ड,
2.	कन्तिलाल सुधार, व्याख्याता (रसायन विज्ञान) राऊमावि शेहट, पाली	भग्रण करने हेतु अवधि दिनांक: 29.10.2019 से 08.11.19 तक	थाईलैण्ड, (बैकांक, फुकेट)
3.	पोकरराम बामणिया, व्याख्याता (जीव विज्ञान) राऊमावि राणासर कला, बाडमेर	भग्रण करने हेतु अवधि दिनांक: 08.11.2019 से 15.11.19 तक	थाईलैण्ड, (बैकांक)

- विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे।
- विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में आयेंदित अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि राज्य सरकार की अनुमति विना स्वीकृति नहीं होगी तथा निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नहीं आने पर सी.सी.ए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- विदेश से ऐजा गया "त्यागपत्र" स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनियम नहीं किया जायेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से इहें कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाइ जायेगी।
- उक्त कर्मचारी सक्षम अधिकार से अपना अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश को प्रस्थान करेंगे। अवकाश संग्राहि के तत्काल पश्चात संरक्षा में अपनी उपरिथित अनिवार्य रूप से देनी होगी। एक बार में स्वीकृत अवकाश को आगे बढ़ाया नहीं जायेगा।
- विदेश प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
- विदेश प्रवास के दौरान जहाँ-जहाँ पर रहेंगे उनके पत्ते इस विभाग को तुरन्त अवगत करायें।
- विदेश प्रवास के दौरान किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेंगे।
- यात्रा का समर्त्त खर्च स्वयं के द्वारा बहन किया जायेगा।
- (अ) सलम अधिकारी द्वारा विदेश जाने हेतु जब भी अवकाश स्वीकृत किया जावे उससे पूर्ण यह पुष्टि आवश्यक रूप से कर लें कि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक वाद लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
- (ब) कर्मचारी के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संरक्षा का कार्य प्रभावित नहीं हो।
- (स) कर्मचारी द्वारा अपना कार्यभार एवं घटनापूर्ण दस्तावेजों को हस्तान्तरणपूर्ण रूप से कर दिया गया है।

(निधमल छिडेल)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 24/10/2019
प्रातिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
- संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
- संबंधित प्रधानमन्त्री।
- संबंधित कर्मिक।
- सिरटम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कर्मचालिय हाजा तो विभागीय बोर्डसार्फेट पर अलगारित करने हेतु।
- निजी एवं रक्षित पत्रावली।

स्वीकृत निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर